फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

श्योलाल बनाम कृष्णलाल आदि

प्रकरण संख्या 1152 / 2024

किस्म मुकदमा : 88 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
02.12.2024	यह वादपत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादीगण रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 09.01.2025 को पेश हो।	
9/25	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करे पत्रावली दिनांक 23/1/25 को पेश हो	
23/25	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किये अब पेश करे पत्रावली दि 9/5/25 को पेश हो	
9/5/25	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किये अब पेश करे पत्रावली दिनांक 14/7/25 को पेश हो	
14/7/25	पत्रावली पेश हुई सीमाजयती दि. ओ. ... अन्य कार्य में व्यस्त ... पत्रावली दि. 29/09/25 को पेश हो	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई वादी उपस्थित नहीं पुनः वकील वादी [illegible] बारबार आवाज लगाई [illegible] वादी या वादी का वकील [illegible] वाद वादी अनुपस्थिति अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दफ्तर हो।	

Rahul

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:58:55 IST
Reason: SelfAttested